उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-6/2017/359/94-स्टा०नि०-2-2017-700(374)/15

लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 2017

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान किये जाने की दृष्टि से मेगा परियोजना के रूप में मै० सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स लि0, नोयडा के पक्ष में निष्पादित भूमि के हस्तांतरण के लिखतों पर और पट्टा के लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन छूट इसके साथ यथा संलग्न औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-141/77-6-13-15(एम)/05, दिनांक 04-06-2013, शासनादेश संख्या-770/77-6-15-5(एम)/13टी०सी०, दिनांक 09-06-2015, शासनादेश संख्या-510/77-06-16-5(एम)/13टी०सी०(मेगा) दिनांक 12-05-2016 तथा शासनादेश संख्या-854/77-06-16-5(एम)/13टी०सी०(मेगा), दिनांक 30-06-2016 में उल्लिखित निबंधनों एवं प्रक्रियाओं के अधीन होगी।

आज्ञा से,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-6/2017/359/94-स्टा०नि०-2-2017-700(374)/15, दिनांक 26मई, 2017

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 26-5-2017के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भैरव नाथ शुक्ल,
अनु सचिव।

संख्या-6/2017/359/94-स्टा०नि०-2-2017-700(374)/15, दिनांक 26 मई, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर।
4. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
5. अध्यक्षएवं प्रबंध निदेशक, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर।
6. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
7. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षकनिबंधन, मेरठमण्डल, मेरठ।
10. सहायकमहानिरीक्षकनिबंधन, प्रथम/द्वितीय, जनपद गौतमबुद्धनगर।
11. विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
12. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
13. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
14. औद्योगिक विकास अनुभाग-6
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

भैरव नाथ शुक्ल,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan

Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.6/2017/359/94/-S.R.-2-2017-700(374)/15, Dated, 26 May, 2017 for general information.

Notification

Order

No.6/2017/359/94/-S.R.-2-2017-700(374)/15

Lucknow, Dated, 26 May, 2017

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable on the instruments of conveyance and on the instruments of lease of land executed in favour ofM/s. Samsung India Electronics Ltd., Noida as Mega Project with a view to providing special facilities and concessions by the State Government.

The remission under this notification shall be under the terms and procedures mentioned in G.O. No. 141/77-6-13-15(M)/05, dated 04-06-2013, G.O. No. 770/77-6-15-5(M)/13T.C. dated 09-06-2015, G.O. No. 510/77-06-16-5(M)/13T.C. (mega) dated 12-05-2016 and G.O. No. 854/77-06-16-5(M)/13T.C. (mega) dated 30-06-2016 of Audyogic Vikas Anubhag-6 as annexed herewith.

By order

Anil Kumar,
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 848 /77-6-13-15(एम)/

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0।
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04 जून, 2013

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत स्टैम्प शुल्क में छूट हेतु औद्योगिक विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाली औद्योगिक इकाईयों के सम्बन्ध में मापदण्डों का निर्धारण।

महोदय,

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन शुल्क मे देय छूट के लिए कर एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क.नि.-5-305-11-2005-500(136)-2003, दिनांक 19.01.2005 एवं अधिसूचना क.नि.-5-306-11-2005-500(136)-2003 दिनांक-19.01.2005 के अंतर्गत छूट प्राप्त किये जाने हेतु मापदण्ड के निर्धारण हेतु औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा शासनादेश संख्या-2778/77-6-07-15(एम) /05, दिनांक 22.11.2007 निर्गत किया गया।

2- वर्तमान में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 निर्गत की गई है जिसमें स्टैम्प शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-79/11-2012-312 (98)/2012, दिनांक 05.12.2012 निर्गत की गयी है।

3- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या-79/11-2012-312 (98)/2012, दिनांक 05.12.2012 के अन्तर्गत स्टैम्प शुल्क से छूट प्राप्त किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाली इकाईयों के सम्बन्ध में मापदण्डों का निर्धारण निम्नवत् किया गया है:-

क्र0स0	परियोजना का प्रकार	भूमि का अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल
1.	औद्योगिक इकाईयों जिन्हें इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट की आवश्यकता नहीं है तथा कच्चे माल एवं निर्मित माल के लिए	फैक्टरी भवन एवं अनुषंगिक (auxiliary) सुविधाओं हेतु आच्छादित क्षेत्रफल का 250 प्रतिशत।

	भी खुले भडारण की आवश्यकता नही है।	
2	औद्योगिक इकाईयों जिन्हें इन्फ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट की आवश्यकता है परन्तु कच्चे माल एवं निर्मित माल के लिए खुले भंडारण की आवश्यकता नहीं है।	फैक्टरी भवन एवं अनुषंगिक (auxiliary) सुविधाओं हेतु आच्छादित क्षेत्रफल का 275 प्रतिशत।
3	औद्योगिक इकाईयों जिन्हें इन्फ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट की आवश्यकता नहीं है परन्तु कच्चे माल एवं निर्मित माल के लिए खुले भंडारण की आवश्यकता है।	फैक्टरी भवन एवं अनुषंगिक (auxiliary) सुविधाओं हेतु आच्छादित क्षेत्रफल का 300 प्रतिशत।
4	औद्योगिक इकाईयों जिन्हें इन्फ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट की आवश्यकता है तथा कच्चे माल एवं निर्मित माल के लिए भी खुले भंडारण की आवश्यकता है।	फैक्टरी भवन एवं अनुषंगिक (auxiliary) सुविधाओं हेतु आच्छादित क्षेत्रफल का 350 प्रतिशत।
5	ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिन्हें संयत्र स्थापित करने हेतु भवन की आवश्यकता नहीं होती लेकिन कच्चे एवं निर्मित माल के लिए खुले भंडारण हेतु खुले स्थान की आवश्यकता होती है जैसे स्टोन क्रेशन, सीमेट कंक्रीट फेब्रीकेशन इकाईयां इत्यादि।	संयत्रों एवं अनुषंगिक (auxiliary) सुविधाओं के स्थापित करने हेतु तथा एक माह की उत्पादन क्षमता के लिए कच्चे एवं निर्मित माल के भण्डारण हेतु आवश्यक क्षेत्रफल।

4- स्टैम्प शुल्क में छूट हेतु यदि आवेदक 'अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल' से अधिक भूमि क्रय करता है तो उसे केवल अधिमतम अनुमन्य क्षेत्रफल पर ही स्टैम्प शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा।

5- औद्योगिक इकाइयों के संदर्भ में उत्पादन प्रारम्भ करने की निर्धारित अवधि/ समय सीमा भूमि के विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष होगी। अवस्थापना सुविधा से संबंधित इकाइयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति की निर्धारित अवधि/ समय सीमा भूमि के विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष होगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
5. औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/ सीडा /लीडा / बीडा।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कौशले राज शर्मा)
विशेष सचिव

संख्या- 770/77-6-15-5(एम)/13 टी0सी0

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ज़िलाधिकारी, उ.प्र.।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र.।
अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2015

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

विषयः- उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्यौगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली मेगा परियोजनाओं को दिये जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अवस्थापना एवं औद्यौगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मेगा परियोजना की स्थापना हेतु केस-टू-केस आधार पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या-402/77- 6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 सपठित शासनादेश संख्या 910/77-6-14-05(एम)/2013 दिनांक 4.7.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-402/77- 6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्राविधानों में निम्नवत संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है:-

1.1 शासनादेश संख्या 402/77- 6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 में वर्णित प्राविधानों में कतिपय प्राविधान निम्नवत् संशोधित किये जाते हैं:-

1.1.1 प्रस्तर 12.1 का संशोधन - "मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आशय-पत्र/इच्छा पत्र की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।"

1.1.2 प्रस्तर 12.6 का संशोधन - "मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा किसी शिडयूल्ड वाणिज्यक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोडकर) अथवा इन बैंकों के नियन्त्रणाधीन अथवा केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा अप्रेजल रिपोर्ट की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। यदि इकाई द्वारा किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से ऋण नही प्राप्त किया जा रहा हो तो भी इकाई को उक्त वर्णित संस्थाओ में से किसी एक संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल कराना अनिवार्य होगा। प्राधिकृत संस्था के माध्यम से पात्र इकाई को परियोजनान्तर्गत वित्तीय सुविधायें/वित्तीय उपादान उपलब्ध कराया जाना है अतः प्राधिकृत संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल नहीं किया जायेगा।"

1.1.3 प्रस्तर 12.7 का संशोधन - "यदि परियोजना चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाती है एवं तदनुसार चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग समय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसी दशा में उस अर्ह परियोजना को मेगा परियोजना नीति के अंतर्गत देय विशिष्ट सुविधाएं तभी अनुमन्य कराई जाएं, जब परियोजना एक ही स्थान पर स्थापित की जा रही हो एवं परियोजना हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. में चरणबद्ध तरीके से परियोजना स्थापित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो एवं इसी डी.पी.आर. के आधार पर अप्रेजल किया गया हो एवं इकाई द्वारा उत्पादित किए जाने वाला उत्पाद एक ही प्रकृति का हो। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इकाई द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट जारी होने के दिनांक से आगामी 5 वर्ष की अवधि के अन्दर अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो एवं कट-ऑफ-डेट के एश्चात, परंतु अतिंम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व, मेगा इकाई की पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश कर लिया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में मेगा परियोजना के अंतर्गत अनुमन्य विशिष्ट सुविधाएँ इकाई को पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश पूर्ण किए जाने की तिथि से ही इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाएगी कि इकाई द्वारा कम से कम किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।"

1.1.4 प्रस्तर 13.5 का संशोधन - "प्राधिकृत संस्था से प्राप्त इकाई के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मा. मंत्रि-परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। मा. मंत्रि-परिषद द्वारा इकाई की पात्रता को स्वीकृति प्रदान किये जाने की दशा में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मेगा प्रोजेक्ट हेतु मा. मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत समस्त सुविधाओं/ रियायतों के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों/ प्राधिकरणों/ निगमों आदि को उनके द्वारा आवश्यक शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जायेगा। इसके साथ ही औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्राधिकृत संस्था को लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने हेतु निदेशित किया जाएगा जिसमे शासन द्वारा अनुमोदित समस्त सुविधाओं एवं रियायतों का विवरण हो तथा सभी नियम व शर्तो का समावेश हो।"

1.1.5 उक्त शासनादेश दिनांक 03.03.2014 की अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

1.2 प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 में वर्णित प्राविधानों के अतिरिक्त निम्न व्यवस्थाओं को भी समाविष्ट किया गया है:-

1.2.1 मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा किये गये पूँजी निवेश (प्रार्थना प्रपत्र का प्रारूप 1 एवं 2) को सांविधिक (Statutory) आडिटर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट तथा कम्पनी के अधिकृत निदेशक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थना प्रपत्र के अन्य प्रारूप को कम्पनी के अधिकृत निदेशक एवं सांविधिक (Statutory) आडिटर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाना आवश्यक होगा। जब कि सुविधा का लाभ (आवंटन/आहरण) लेने हेतु शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्रस्तर 12.4 में इंगित शर्त के अनुसार इकाई द्वारा किये गये पूंजी निवेश का सत्यापन स्टेटूचरी आडिटर द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

1.2.2 शासनादेश संख्या-402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्रस्तर 4 में मेगा परियोजना की परिभाषा में विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाईयों को भी

सम्मिलित किया गया है। अतः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाईयों को भी विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों में एतद्द्वारा सम्मिलित करते हुए इस सीमा तक संशोधित माना जाये।

1.3 शासनादेश संख्या 910/77-6-14-05(एम)/2013 दिनांक 4.7.2014 के द्वारा पिकप को मेगा परियोजनाओं हेतु प्राधिकृत संस्था एवं इम्पावर्ड कमेटी के सचिवालय के रूप में नामित किया गया है। शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था के रूप में प्रदत्त जिम्मेदारी का वहन करने तथा इस कार्य को सम्पादित करने में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मेगा परियोजनाओं द्वारा अनुमन्य सुविधाओं को प्राप्त करते समय प्राधिकृत संस्था-पिकप को मात्र 01 प्रतिशत का व्यय प्रदान किया जाएगा। पिकप 01 प्रतिशत का यह व्यय इकाइयों को दी जाने वाली सुविधाओं की राशि में से घटाने के पश्चात शेष वितरित करेगा।

1.4 राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर 9 मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधायें एवं रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसका विवरण अनुलग्नक-1 पर है तथा इन परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक-2 पर है।

1.5 जिन 9 इकाईयों को एतद्द्वारा रियायतें/सुविधायें प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रश्नगत सभी प्रकार की सुविधायें प्राधिकृत संस्था द्वारा शासनादेश सं-402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्रस्तर 14.1 के प्राविधानों के अनुपालन करते हुए वितरित की जायेगी।

1.6 सम्बन्धित विभागों द्वारा सन्दर्भित 9 इकाइयों हेतु अनुमोदित सुविधाओं को निर्णीत सीमा तक उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश जारी किये जायेंगे।

1.7 किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु प्राधिकृत संस्था द्वारा इम्पावर्ड कमेटी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या:770(1)/77-6-15-05(एम)/2013 टी0सी0, तद्दिनांक

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमो के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

5. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. राजस्व परिषद, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
9. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
10. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या:770(2)/77-6-15-05(एस)/2013 टी0सी0, तारीखांक

प्रतिलिपि- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या- 770/77-6-15-5(एम)/13 टी0सी0 का अनुलग्नक-1

राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस के आधार पर 9 मेगा परियोजनाओं को अनुमोदित विशेष सुविधायें एवं रियायतें

क्र.सं.	प्रदान की जाने वाली सुविधा का विवरण	पात्रता	सुविधा की सीमा	
			श्रेणी-1 रू0 200 करोड़ अथवा अधिक किन्तु रू0 500 करोड़ से कम पूंजी निवेश वाली मेगा इकाई	श्रेणी-2 रू0 500 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश वाली मेगा इकाई
अ-	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 1416/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.IV दि0 30.11.2012 के स्थान पर सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयॉ जिनमें विस्तारीकरण/विविधीकरण वाली इकाईयॉ भी सम्मिलित हैं, को वैट/सी0एस0टी अथवा भविष्य में लागू किये जाने वाले जी0एस0टी0 इत्यादि (टैक्स, जो किसी भी नाम से हों) में निहित प्रदेश सरकार के अंश की प्रतिपूर्ति	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड मण्डल को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी मण्डलों में स्थापित पात्र इकाईयॉं	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष्य प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 10 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष्य प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 10 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक
		शासनादेश संख्या-1416/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.IV दि0 30.11.2012 में इंगित पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड मण्डल के सभी जिले।	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष्य प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 15 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 300 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष्य प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 15 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 300 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक
ब-	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08	प्रदेश में स्थापित सभी पात्र मेगा इकाईयॉं	औद्योगिक इकाईयों को शिड्यूल्ड बैंकों/ केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई	औद्योगिक इकाईयों को शिड्यूल्ड बैंकों/ केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई

	(एम)/12टी.सी. दिनांक 30.11.2012 के स्थान पर सभी नई मेगा औद्यौगिक इकाईयॉ जिनमें विस्तारीकरण/विविधीकरण वाली इकाईयॉ भी सम्मिलित हैं को पूंजीगत ब्याज उपादान		की स्थापना/ विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली समस्त पात्र इकाईयो हेतु प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि की प्रतिपूर्ति अथवा रू0 2 करोड़ जो भी कम हो प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम 5 वर्ष तक अथवा अधिकतम रू0 10 करोड़ प्रति यूनिट देय होगी। 5 वर्ष की गणना, सावधिक ऋण के अन्तिम वितरण की तिथि से की जायेगी।	की स्थापना/ विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली समस्त पात्र इकाईयो द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक ब्याज उपादान की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ कि सुविधा की अधिकतम सीमा इकाई द्वारा संगत पिछले वित्तीय वर्ष में जमा कराए गए वैट/जीएसटी/सीएसटी में प्रदेश के अंश का 20 प्रतिशत से अधिक न हो। 5 वर्ष की गणना, सावधिक ऋण के अन्तिम वितरण की तिथि से की जायेगी।
स-	अवस्थापना एवं औद्यौगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-क.नि.-7-79/11-2012-312(98)/2012 दिनांक 05.12.2012 के स्थान पर सभी नई मेगा औद्यौगिक इकाईयॉ जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयॉ भी सम्मिलित हैं को स्टाम्प शुल्क की सुविधा	सभी नई मेगा औद्यौगिक इकाईयॉ जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयॉ भी सम्मिलित हैं को परियोजना हेतु क्रय की गयी अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
द-	अवस्थापना एवं औद्यौगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0	सभी नई मेगा औद्यौगिक इकाईयॉ जिनमें विस्तारीकरण/	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान

	1456/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.II दिनांक 23.01.2013 के स्थान पर ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति की सुविधा	विविधीकरण वाली इकाईयॉ भी सम्मिलित है जिनके द्वारा 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया हो। उनके द्वारा इन श्रमिकों को वेतन मद में दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षो बाद उससे अगले 5 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।	की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षो बाद उससे अगले 5 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।	की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षो बाद उससे अगले 5 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

नोटः-

1. लेटर आफ कम्फर्ट प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि इकाई द्वारा परियोजना में किसी प्रकार के फेर-बदल, कास्ट आफ प्रोजेक्ट में इस प्रकार के बदलाव जिससे इकाई की श्रेणी में अन्तर आता है, लेटर आफ कम्फर्ट में इंगित शर्तों में बदलाव इत्यादि के आवेदन को प्राधिकृत संस्था द्वारा परीक्षण (आवश्यकता पड़ने पर बाह्य दक्ष संस्था द्वारा) कर निर्णय हेतु इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।

2. यदि किसी इकाई ने प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त की है तो उस इकाई को उसी प्रकार की सुविधा इस योजना के अन्तर्गत प्रदान नहीं की जायेगी।

3. भारत सरकार द्वारा पूरे देश में यूनीफार्म गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जी0एस0टी0) योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस दशा में वैट/सी0एस0टी0 से सम्बन्धित स्वीकृत सुविधा केवल जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश तक ही प्रदान की जायेगी।

4. उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त सभी पात्र इकाईयॉ अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में निहित अन्य मदों की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या- 770/77-6-15-5(एम)/13 टी0सी0 का अनुलग्नक-2

राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस के आधार पर विशेष सुविधायें एवं रियायतें प्रदान करने हेतु अनुमोदित 9 मेगा परियोजनाओं की सूची

1. मे0 इण्डोगल्फ फर्टिलाईजर्स (मे0 आदित्य बिरला नूवो लि0 की एक इकाई), जगदीशपुर।
2. मे0 श्री सीमेंट लि0, बुलंदशहर।
3. मे0 वेकमेट इण्डिया लि0, मथुरा।
4. मे0 गैलेन्ट इस्पात लि0, गोरखपुर।
5. मे0 पसवारा पेपर्स लि0, मेरठ।
6. मे0 के0के0 मिल्क फ्रेश इण्डिया लि0, कानपुर देहात।
7. मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स लि0, नोयडा।
8. मे0 रिलायन्स सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0, राय बरेली।
9. *मे0 रिलायन्स सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0, अलीगढ़ एवं रोजा।

* नोटः-

मे0 रिलायन्स सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0 द्वारा अलीगढ़ एवं रोजा में अलग-अलग इकाई स्थापित करने हेतु एक ही आवेदन इस आशय से किया गया है कि दोनों इकाईयाँ एक दूसरे से लिंक्ड हैं जिसमें परियोजना की कुल लागत रू0 682.46 करोड़ इंगित की गयी है। जब कि अलीगढ़ इकाई की कास्ट आफ प्रोजेक्ट रू0 592.44 करोड़ एवं रोजा इकाई की कास्ट आफ प्रोजेक्ट रू0 90.02 करोड़है। कम्पनी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि रोजा इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले किंल्कर को अलीगढ़ इकाई द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा अलीगढ़ इकाई द्वारा वांछित फ्लाई ऐश का कुछ हिस्सा रोजा थर्मल पावर प्लांट से उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार कम्पनी ने दोनों इकाईयों को एक दूसरे से लिंक्ड बताया है। अतः इस प्रकार की दो भिन्न स्थानों पर स्थापित इकाईयों को एक मेगा परियोजना मानने हेतु आवेदन पर इम्पावर्ड कमेटी के द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर एक मेगा परियोजना मानने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

संख्या-510/77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0(मेगा)

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
(2) समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ज़िलाधिकारी, उ.प्र.।
(3) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र.।
(4) प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
(5) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2016

विषयः-उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली मेगा परियोजनाओं को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (प्रस्तर सं0 5.7) के अन्तर्गत मेगा परियोजना की स्थापना हेतु केस-टू-केस आधार पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन विषयक शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 तथा शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5 (एम)/13 टी.सी. दिनांक 09.06.2015 के प्राविधानों में निम्नवत संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है:-

1 मेगा परियोजना संबंधित पूर्व निर्गत शासनादेशों में कतिपय संशोधनः-

1.1 शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5 (एम)/13 टी.सी. दिनांक09.06.2015 के प्रस्तर 1.1.2 का संशोधन-

"मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा वाह्य कन्सलटेन्ट/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। प्रवर्तक कम्पनी द्वारा लेटर-आफ-कॅम्फर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अधिकतम छः माह के भीतर परियोजना हेतु ऋण स्वीकृति के लिए शिडयूल्ड वाणिज्यक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) अथवा इन बैंकों के नियन्त्रणाधीन अथवा केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल कराकर अप्रेजल रिपोर्ट की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्राप्त कराई जाएगी। यदि इकाई द्वारा किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से ऋण नही प्राप्त किया जा रहा हो तो भी इकाई को उक्त वर्णित संस्थाओ में से किसी एक संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल कराना अनिवार्य होगा प्राधिकृत संस्था के माध्यम से पात्र इकाई को परियोजनान्तर्गत

वित्तीय सुविधायें/ वित्तीय उपादान उपलब्ध कराया जाना है अतः प्राधिकृत संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल नहीं किया जायेगा।"

1.2 शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5(एम)/13 टी.सी. दिनॉक 09.06.2015 के अनुलग्नक-1 के नीचे विन्दु-5 के रूप में जोड़ दिया जाये कि:-

"5. इकाई द्वारा वैट/सी.एस.टी./जी.एस.टी. में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक अवधि पर की जायेगी।"

1.3 शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5 (एम)/13 दिनॉक 3.3.2014 के प्रस्तर 12.4 का संशोधन

"पूँजी निवेश की सही धनराशि के आंकलन हेतु इसको कम्पनी के प्राधिकृत निदेशक एवं स्टेच्यूटरी ऑडिटर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। उपलब्ध कराए गए प्रमाण-पत्रों के माध्यम से दर्शायी गई पूंजी निवेश की वास्तविकता का आंकलन एवं सत्यापन प्राधिकृत संस्था (पिकप) द्वारा अपने इम्पैनल्ड वैल्यूवर्स/चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस/कन्सलटेंट से कराते हुए प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभागके माध्यम से इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति हेतु प्रेषित किया जायेगा।"

1.4 शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5 (एम)/13 दिनॉक 3.3.2014 के प्रस्तर 14.1 का संशोधन

"इकाई द्वारा, मेगा इकाई की स्थापना के संबंध में जारी लेटर आफ कॅम्फर्ट में वर्णित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राधिकृत संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकृत संस्था (पिकप) द्वारा अपने इम्पैनल्ड वैल्यूवर्स/चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस /कन्सलटेंट से पूँजी निवेश की वास्तविकता का आंकलन एवं सत्यापन कराते हुए प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति हेतु प्रेषित किया जायेगा।इम्पावर्ड कमेटी द्वारा मत स्थिर करते हुए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से मा. मंत्रि-परिषद के आदेश प्राप्त किए जाएंगे।"

1.5 औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना-2012 से सम्बन्धित शासनादेश सं0 1414/77-6-12-08(एम)/12 टी0सी0III दि0 30.11.2012 के प्रस्तर-2 का संशोधन

"2. इस योजना के संचालन हेतु पिकप को प्राधिकृत संस्था नामित किया जा रहा है।"

1.6 उक्त शासनादेशों दिनांक 03.03.2014, 9.6.2015 एवं 30.11.2012 की अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

2. प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 तथा शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5 (एम)/13 टी. सी. दिनांक 09.06.2015 में वर्णित प्राविधानों के अतिरिक्त निम्न व्यवस्थाओं को भी समाविष्ट किया गया है:-

2.1 सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स नामक नई श्रेणी

प्रदेश में इस प्रकार की इकाईयों जहाँ पर कुल पूँजी निवेश रू0 1000 करोड़ या उससे अधिक हो, के लिए "सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स"के नाम से एक नई श्रेणी का सृजन किया गया है। ऐसी परियोजनाओं को अतिरिक्त विशेष सुविधायें निम्न वर्णित शर्तो के अधीन अनुमन्य करायी जायेंगी :-

(अ) सुविधाओं की राशि की सीमा वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्वांचल, मध्यांचल, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत तक तथा अन्य क्षेत्रों में पूँजी निवेश का 100 प्रतिशत तक सीमित है। सुपर मेगा प्रोजेक्ट वाली इकाईयों को सुविधायें प्रदान करने में लचीलापन लाने हेतु कम्पनियों को अपनी आवश्यकतानुसार कुछ सुविधाओं के मदोंको निर्धारित पूँजी निवेश की सीमा तक चुनने की स्वतंत्रता दी जायेगी। इकाइयों को अपनी आवश्यकतानुसार केस टू केस आधार पर निश्चित की गयी सीमाओं यथा निर्धारित प्रति वर्ष वितरित की जाने वाली प्रतिपूर्ति, पूँजी निवेश की सीमा तथा समयावधि की सीमा तक सुविधाओं को निम्नलिखित मदों में से चुनने का अवसर प्रारम्भ में ही दिया जायेगा:-

i- वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 के मद में प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि के 100 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति।

ii- पूँजी ब्याज उपादान (पॉच वर्षो से अधिक समय पूरे सावधिक ऋण पर, न कि केवल प्लांट एवं मशीनरी के ऋण पर)।

iii- अवस्थापना ब्याज उपादान।

स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी दशा में यातायात उपादान, पूँजी उपादान, अवस्थापना उपादान की सुविधा देय नही होगी।

(ब) सुपर मेगा परियोजनाओं द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट के दिनांक से आगामी 07 वर्षो के भीतर पात्रता हेतु आवश्यक पूँजी निवेश, परियोजना की स्थापना एवं अन्तिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाना आवश्यक होगा।

(स) पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत तक तथा अन्य क्षेत्रों में पूँजी निवेश का 100 प्रतिशत तक 15 वर्षो हेतु विभिन्न सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं किन्तु शर्त यह होगी कि प्रतिवर्ष प्राप्त की जाने वाली सुविधा, इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 100 प्रतिशत से अधिक न हो।

2.2 सुपर मेगा श्रेणी में रू0 1000 करोड़ का पूंजी निवेश कर लेने एवं किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के पश्चात ही इकाई विशेष सुविधाओं का लाभ लेने हेतु पात्र होगी।

2.3 शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5(एम)/13 टीसी दिनांक 09-06-2015 में सुपर मेगा की श्रेणी में आने वाली इकाईयों को भी यह सुविधायें अनुमन्य होगी।

3. <u>विस्तारीकरण/विविधीकरण के प्रस्ताव में अनुमन्य सुविधा के आगणन हेतु प्रकिया</u>

विस्तारीकरण/विविधीकरण हेतु सुविधा प्राप्त करने वाली पात्र इकाईयों को उक्त परियोजना हेतु पृथक अभिलेख रखना होगा। यदि इकाई द्वारा ऐसा करना सम्भव न हो तो विशेष सुविधा का आंकलन अतिरिक्त पूँजी निवेश तथा कुल पूँजी निवेश के रेशियो के आधार पर किया जाए तथा शासनादेश के अन्तर्गत पात्रता की अवधि तक उस इकाई द्वारा विस्तारीकरण/विविधीकरण की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि आधारभूत उत्पादित माल के विक्रय धन पर देय कर (वैट/सी0एस0टी0/जी0एस0टी0) की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। आधारभूत उत्पादन का तात्पर्य, इकाई विगत 05 वर्षो अथवा उससे कम अवधि से कार्यरत है तो इस अवधि में से किसी वर्ष का अधिकतम वाणिज्यिक उत्पादन, से होगा।

विस्तारीकरण/विविधीकरण के प्रस्ताव में अनुमन्य सुविधा के आगणन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया मेगा/सुपर मेगा सभी इकाईयों पर लागू होगी।

4. <u>लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत की गई मेगा परियोजनाओं तथा भविष्य में लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने वाली मेगा/सुपर मेगा परियोजनाओं द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी विभिन्न सुविधाओं के वितरण हेतु आवेदन का प्रारूप तथा शर्तें</u>

4.1 इकाईयों द्वारा प्रचलित शासनादेशों के अन्तर्गत पात्र मेगा/सुपर मेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं को वितरित करने हेतु आवेदन का प्रारूप अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

4.2 <u>इकाईयों को अनुमन्य सुविधाओं के वितरण के लिए प्रकिया</u>

पात्र मेगा इकाईयों जिनको पूर्व में लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जा चुका है तथा जिन्हें भविष्य में निर्गत किया जाना है, को निम्न प्रकिया एवं शर्तों के अनुसार सुविधायें वितरित करने की संस्तुति की गई है:-

1. इकाई द्वारा, मेगा/सुपर मेगा योजनान्तर्गत जारी लेटर आफ कॅम्फर्ट में वर्णित शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राधिकृत संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2. प्राधिकृत संस्था (पिकप) द्वारा अपने इम्पैनल्ड वैल्यूवर्स/चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस/ कन्सलटेंट से पूँजी निवेश की वास्तविकता का आंकलन एवं सत्यापन कराते हुए प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

3. इम्पावर्ड कमेटी द्वारा मत स्थिर करते हुए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से मा. मंत्रि-परिषद के आदेश प्राप्त किए जाएंगे।

4.3 इकाईयों को अनुमन्य सुविधाओं के वितरण के लिए शर्ते

इम्पावर्ड कमेटी द्वारामेगा/सुपर मेगा श्रेणी की जो भी इकाईयॉ प्रदेश सरकार से सुविधायें प्राप्त करेंगी, उन्हें निम्न शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-

1. पात्र इकाई द्वारा उत्पादन एवं विक्रय के विस्तृत विवरण के अतिरिक्त उत्पादन में रूकावट, इकाई की बन्दी इत्यादि का विवरण भी सुस्पष्ट कारणों सहित प्रमाणित रूप में प्राधिकृत संस्था को प्रदान किया जाना होगा। साथ ही स्थायी पूँजी निवेश में वृद्धि, स्थायी सम्पत्ति में क्षय (विक्रय) एवं पात्र इकाई के कान्स्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार के बदलाव इत्यादि का प्रमाणित विवरण भी दिया जाना होगा।

2. वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 09 माह के अन्दर पात्र इकाई द्वारा आडिटेड वार्षिक लेखा (स्टेटमेंट आफ एकाउन्टस) तथा बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. यदि पात्र इकाई निर्धारित समयावधि में वांछित अभिलेख/सूचना प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध नहीं कराती है तो इसे अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन माना जायेगा तथा लेटर आफ कम्फर्ट निरस्त करते हुए इकाई द्वारा प्राप्त की गयी सुविधाओं की राशि सुसंगत विधिक प्राविधानों के तहत "भू राजस्व बकाया" की भॉति सम्बंधित इकाई से वसूली जायेगी।

4. पात्र इकाई द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट में इंगित सुविधाओं की सीमा (राशि/अवधि)पर पहुँचते ही अथवा इकाई द्वारा किसी भी नियम एवं शर्त का उल्लंघन करते ही प्राधिकृत संस्था द्वारा इकाई को निर्गत किये गये लेटर आफ कम्फर्ट को स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।

5. लेटर आफ कम्फर्ट प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि इकाई द्वारा परियोजना में किसी प्रकार के फेर-बदल, कास्ट आफ प्रोजेक्ट में इस प्रकार के बदलाव जिससे इकाई की श्रेणी में अन्तर आता है, लेटर आफ कम्फर्ट में इंगित शर्तों में बदलाव इत्यादि के आवेदन को प्राधिकृत संस्था द्वारा परीक्षण (स्वयं अथवा बाह्य दक्ष संस्था द्वारा) कर निर्णय हेतु इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।

6. यदि किसी इकाई ने प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त की है तो उस इकाई को उसी प्रकार की सुविधा इस योजना के अन्तर्गत नहीं प्रदान की जायेगी।

7. भारत सरकार द्वारा पूरे देश में यूनीफार्म गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जी0एस0टी0) योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस दशा में वैट/सी0एस0टी0 से सम्बन्धित स्वीकृत सुविधा केवल जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश तक ही प्रदान की जायेगी।

5. पैन इण्डिया बिन्दु एवं वैट/सी.एस.टी./जी.एस.टी. में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु आगणन के विकल्पः-

सभी मेगा/सुपर मेगा परियोजनाओं में वैट/सी.एस.टी. अथवा जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह राशि की गणना करने हेतु इकाई को निम्न दो विकल्प उपलब्ध होगें जिनमे से इकाई द्वारा आवेदन करते समय ही एक विकल्प चुनकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना होगाः-

"उत्तर प्रदेश में विक्रय किए गए उत्पाद के सापेक्ष प्रो-राटा आधार पर इनपुट टैक्स केडिट को घटाकर जो शेष राशि (नेट वैट) होगी वह राशि प्रतिपूर्ति के आगणन हेतु अनुमन्य श्रेणी के अनुसार अर्ह होगी।"

अथवा

"इकाई द्वारा वैट/सी.एस.टी. अथवा जी.एस.टी. में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गई राशि की अनुमन्य प्रतिपूर्ति निवेश की श्रेणी के अनुसार अर्ह होगी।"

यह सुविधा उन इकाईयों को भी दी जायेगी जिन्हें दि0 9.6.2015 के शासनादेश के क्रम में लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किया जा चुका है एवं उन्हें भी इन दो विकल्पों में से एक चुनने का एक अवसर दिया जायेगा।

6. सभी पात्र मेगा इकाईयों को वैट की प्रतिपूर्ति वार्षिक आधार के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर प्रदान की जायेगी।

7. शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5(एम)/13 टीसी दिनांक 09-06-2015 के द्वारा मे0 वैकमेट इण्डिया लि0, मथुरा को अनुमोदित विशेष सुविधाएँ एवं रियायतें एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं।

8. राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर इस शासनादेश एवं शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5(एम)/13 टीसी दिनांक 09-06-2015 की व्यवस्था के अन्तर्गत 06 नई मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधायें एवं रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसका विवरण अनुलग्नक-2 पर है तथा इन परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक-3 पर उपलब्ध है।

9. सम्बन्धित विभागों द्वारा सन्दर्भित 06नई इकाइयों एवं मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0, नोएडा के पुनरीक्षित प्रस्ताव हेतु अनुमोदित सुविधाओं को निर्णीत सीमा तक उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश जारी किये जायेंगे।

10. जिन 06 नई इकाईयों को एतद्द्वारा रियायतें/सुविधायें प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रश्नगत सभी प्रकार की सुविधायें प्राधिकृत संस्था द्वारा सम्बन्धित शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए वितरित की जायेंगी।

11. कतिपय इकाईयों द्वारा पूर्व में निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट में संशोधन हेतु आवेदन किया गया था जिन पर प्रदान किये गये अनुमोदन का विवरण अनुलग्नक-4 पर उपलब्ध है।

12. किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु प्राधिकृत संस्था द्वारा इम्पावर्ड कमेटी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्याः 510(1)/77-6-16-05(एम)/2013 टी0सी0 (मेगा), तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमो के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. राजस्व परिषद, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
9. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
10. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ।
11. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या:510(2)/77-6-16-05(एम)/2013 टी0सी0(मेगा), तददिनांक

प्रतिलिपि- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

अनुलग्नक-1

औद्यौगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-510/77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0 (मेगा) का अनुलग्नक-1

Format of Application for Disbursement of Incentives for Mega Projects (under Infrastructure & Industrial Investment Policy-2012)

Sl.No.	Title	Reply	Documents required in support
1-	Name of Company		Memorandum and Articles of Associations
2-	Address of Registered Office of the Industrial Unit/Firm/Company		
3-	Address of factory of the Industrial Unit/Firm/Company		
4-	Date of filing LOI / EOI with the Department of Promotion and Policy		
5-	Constitution of the concern		
	Date of start of trial runs production		Acknowledgment of filing of Part-II with DIPP (Department of Industrial Policy and Promotion) GOI OR Acknowledgment of Intimation to Excise Dept. OR Certificate from Statutory Auditors.
	Date of start of Commercial production		
6-	New unit/expansion/diversification project		DPR (phased project), Appraisal Note/ Actual
7-A	Product-wise Installed capacity for new unit		DPR (phased project), Appraisal Note/Actual
7-B	In case of expansion, i. Existing installed capacity (Product-wise) ii. Installed capacity after expansion (Product-wise)		DPR (phased project), Appraisal Note/Actual
8-	Whether project is being set up in phases?		DPR, Appraisal Note/Actual
9-	Phase-wise scheduled production dates and actual date of coming into production		DPR, Appraisal Note, Excise Return (ER-4)
10-	PAN No. of the Industrial Unit/Firm/Company		Copy of PAN Card
11-	Name of all the Owners/Partners/ Directors of the Industrial Unit/Firm/ Company along with DIN Nos., PAN Nos., Contact Mobile/Telephone No.		ROC Documents
12-	Particulars of the Technical arrangement for smooth running of the Industrial Unit/ Firm/ Company		

13-	Cost of Project+	As per DPR	As per Appr-aisal	Capital Investment till 23.1.2013+	Capital Investment till date+
	(a) Land & site development (b) Building and Civil Works (c) Plants & Machinery i) Indigenous ii) Imported (d) Misc.Fixed Assets (e) Intt. During construction period (f) Prelim. And Preop. Expenses (g) Margin Money for Working Capital Total				

1. *Nodal agency shall arrange examination & certification on Capital Investment made by the company as per the provision of G/O's through its empanelled C/A firms*
2. *Nodal agency shall also arrange to get examined the installation & verification of Capital Investment at site (Land, Building & Plant & Machinery) through its empanelled consultants/ valuer/engineer.*

The above two reports shall be put up alongwith the disbursement note before EC through the IDD.

14-	Means of financing+ Equity (a) Equity Share Capital (b) Internal Cash Accruals (c) Intt. Free Unsecured Loans (d) Other Debt (e) From FI's (f) from Bank (g) For Plant and Machinery* Total *with supporting documents/computation				

+To be supported by -

i. Certificate from Statutory Auditors of the Companycertifying that the expenditure incurred by the company for availing the benefits as per LOC issued to the company are in order and are as per terms and conditions of GO no. 402/77-6-14-5(M)/13 dated 3.3.2014, GO no. 770/77-6-15-5(M)/13 TC dated 9.6.2015 and amendment, if any, from time to time.

ii. Copies of bills and invoices certified by director of the company.

VAT REIMBURSEMENT			
15-	Details of tax paid under UPVAT Act & CST Act		
	i. Taxpayer Identification Number (TIN) issued by Commercial Taxes Department ii. Amount of admitted Tax under VAT deposited for FY ___ iii. Amount of claim to be reimbursed iv. Amount of refund out of VAT deposited during the period, if obtained		Certificate issued by Competent Authority of the Commercial Taxes Department.
	Documents Required in Support of VAT Paid by the Unit		
	i. Certificate issued by Competent Authority of the Commercial Taxes Department. ii. Unit level audited accounts for the relevant financial year (for which VAT/CST reimbursement is being claimed) iii. VAT Audit Report for the relevant financial year for the company iv. VAT Audit Report for the relevant financial year for the unit (standalone VAT statement/report for the unit certified by a Chartered Accountant) v. CA Certificate for sales reconciliation of Manufactured Goods/Trading goods/Scrap/ Stock Transfer and VAT/CST paid towards the same separately.		
16-	Audited annual accounts with complete schedule for last two years. (If available)		
CAPITAL INTEREST SUBSIDY			
17-	Name of Financial Institutions from which loan availed		
18-	Amount of loan sanctioned on Investment in Plant & Machinery		Sanction Letter, Agreement with FI/Bank
19-	Rate of Interest		Sanction Letter, Agreement with FI/Bank
20-	Date of Sanction		
21-	Amount of Loan Disbursed towards Investment in Plant & Machinery with dates of Disbursement.		Letter /Advice of FI/Bank. Certificate from Bank certifying interest cost on loan for Plant & Machinery

22- Particulars of Claims for Sanction of Capital Interest Subsidy

Sl.No.	Year for which subsidy Applied	Payment made to FI during the year		Amount of Interest Subsidy Applied	Documents required in support
		Principal	Interest		Certification from FI/Bank required
1.	Year –I ( )				
2.	Year –II ( )				
3-	Year –III ( )				
4-	Year –IV ( )				
5-	Year –V ( )				
	Total				

EMPLOYEES PROVIDENT FUND REIMBURSEMENT

23-	Number of Unskilled Workers with full particulars of 100 unskilled workers and employee wise contributions for relevant year.		Affidavit from the main promoter/ Authorized Officer to the effect that all the above particulars are true and that the unit had 100 unskilled workers in its continuous employment for the full period of the relevant year for which application for reimbursement is being filed.
24-	Number of Other Workers		
25-	Total No. of Workers		
26-	Details of Claims for EPF Reimbursement		Monthwise details of contributions paid into the EPFO or Employer's PF Trust, which should be certified by the concerned competent officer of EPFO/ Competent officer of Trust.

Declaration

The above information are completely true and no fact has been concealed or misrepresented. It is further certified that the company has not availed benefits of the above nature under any scheme of the Govt. of U.P. or any other Agency, neither have we applied to any other agency for purpose of availing benefits of the above nature.

Signature and Seal of Authorised Signatory

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-510/77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0 (मेगा) का अनुलग्नक-2

राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर मेगा /सुपर मेगा परियोजनाओं को अनुमोदित विशेष सुविधायें एवं रियायतें

क्र0सं0	प्रदान की जाने वाली सुविधा का विवरण	पात्रता	सुविधा की सीमा		
			श्रेणी-1 रू0 200 करोड़ अथवा अधिक किन्तु रू0 500 करोड़ से कम पूँजी निवेश वाली मेगा इकाई	श्रेणी-2 रू0 500 करोड़ अथवा उससे अधिक किन्तु रू0 1000 करोड़ से कम पूँजी निवेश वाली मेगा इकाई	सुपर मेगा श्रेणी रू0 1000 करोड़ अथवा उससे अधिक पूँजी निवेश वाली मेगा इकाई
अ-	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयों जिनमें विस्तारीकरण/विविधीकरण वाली इकाईयाँ भी सम्मिलित हैं को वैट/सी0एस0टी0 अथवा भविष्य में लागू किये जाने वाले जी0एस0टी0 इत्यादि (टैक्स, जो किसी भी नाम से हो) में निहित प्रदेश सरकार के अंश की प्रतिपूर्ति।	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड मण्डल को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी मण्डलों में स्थापित पात्र इकाईयाँ	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 10 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 10 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	सुपर मेगा श्रेणी हेतु पात्रता एवं सुविधाओं का विवरण इस शासनादेश के प्रस्तर 2.1, 2.2एवं2.3, पर इंगित हैं।
		शासनादेश सं0 1416/77-6-12-08 (एम)/12 टी0सी0-IV दि0 30.11.2012 में इंगित पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड मण्डल के सभी जिले।	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 15 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 300 प्रतिशत	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 15 वर्षो के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 300 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	

			अधिकतम सीमा तक		
ब-	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयॉं जिनमें विस्तारीकरण/विविधीकरण वाली इकाईयॉं भी सम्मिलित हैं को पूंजीगत ब्याज उपादान	प्रदेश में स्थापित सभी पात्र मेगा इकाईयॉं	औद्योगिक इकाईयों को शिड्यूल्ड बैंकों/ केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई की स्थापना/ विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली समस्त पात्र इकाईयो हेतु प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि की प्रतिपूर्ति अथवा रू0 2 करोड़ जो भी कम हो प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम 5 वर्ष तक अथवा अधिकतम रू0 10 करोड़ प्रति यूनिट देय होगी। 5 वर्ष की गणना, सावधिक ऋण के अन्तिम वितरण की तिथि से की जायेगी।	औद्योगिक इकाईयों को शिड्यूल्ड बैंकों/ केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई की स्थापना/ विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली समस्त पात्र इकाईयो द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक ब्याज उपादान की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ कि सुविधा की अधिकतम सीमा इकाई द्वारा संगत पिछले वित्तीय वर्ष में जमा कराए गए वैट/जीएसटी/सीएसटी में प्रदेश के अंश का 20 प्रतिशत से अधिक न हो। 5 वर्ष की गणना, सावधिक ऋण के अन्तिम वितरण की तिथि से की जायेगी।	
स-	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयॉं जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयॉं भी सम्मिलित हैं को स्टाम्प शुल्क की सुविधा	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयॉं जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयॉं भी सम्मिलित हैं को परियोजना हेतु क्रय की गयी अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
द-	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयॉं	सभी पात्र मेगा इकाईयॉं जिनमें 100 या उससे	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में

	जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयाँ भी सम्मिलित हैं को ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति की सुविधा	अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया हो।	दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षो बाद उससे अगले 5 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।	दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षो बाद उससे अगले 5 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।	दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षो बाद उससे अगले 5 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

नोटः-

1. लेटर आफ कम्फर्ट प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि इकाई द्वारा परियोजना में किसी प्रकार के फेर-बदल, कास्ट आफ प्रोजेक्ट में इस प्रकार के बदलाव जिससे इकाई की श्रेणी में अन्तर आता है, लेटर आफ कम्फर्ट में इंगित शर्तों में बदलाव इत्यादि के आवेदन को प्राधिकृत संस्था द्वारा परीक्षण (आवश्यकता पड़ने पर बाह्य दक्ष संस्था द्वारा) कर निर्णय हेतु इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।

2. यदि किसी इकाई ने प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त की है तो उस इकाई को उसी प्रकार की सुविधा इस योजना के अन्तर्गत प्रदान नहीं की जायेगी।

3. भारत सरकार द्वारा पूरे देश में यूनीफार्म गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जी0एस0टी0) योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस दशा में वैट/सी0एस0टी0 से सम्बन्धित स्वीकृत सुविधा केवल जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश तक ही प्रदान की जायेगी।

4. उपरोक्तसुविधाओं के अतिरिक्त सभी पात्र इकाईयों अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में निहित अन्य मदों की सुविधाओं का लाभ प्रचलित सुसंगत शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार उठा सकेंगी।

अनुलग्नक-3

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-510/77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0 (मेगा) का अनुलग्नक-3

राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस के आधार पर विशेष सुविधायें एवं रियायतें प्रदान करने हेतु अनुमोदित 6 नई मेगा परियोजनाओं की सूची

1. मे0 एल0जी0 इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0 लि0, ग्रेटर नोएडा
2. मे0 स्पर्श इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, कानपुर देहात
3. मे0 अशर एग्रो लि0, मथुरा
4. मे0 सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0, शाहजहाँपुर
5. मे0 सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0, महोबा एवं ललितपुर
6. मे0बेन्नेट इन्स्टीटयूट आफ हायर एजूकेशन (बी.आई.एच.इ.), ग्रेटर नोएडा

नोटः-

1. मे0 एल0जी0 इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0 लि0, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रस्तावित उत्पादों यथा रेफ्रिजरेटर्स, एअर कंडीशनर, वाशिंग मशीन, कम्प्रेशर, मोटर्स, माइक्रोवेव, एल.ई.डी. टी.वी., मोबाईल फोन एवं वाटर प्यूरीफायर को एक ही श्रेणी का उत्पाद माना जायेगा।

2. मे0 सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0 की महोबा एवं ललितपुर इकाईयों को एक मेगा परियोजना स्वीकार कर रू0 200 करोड़ से रू0 500 करोड़ की श्रेणी में मानते हुए सुविधायें प्रदान की जाएंगी किन्तु शाहजहाँपुर परियोजना को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अनुलग्नक-4

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-510/77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0 (मेगा) का अनुलग्नक-4

पूर्व में निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट में संशोधन हेतु आवेदन पर प्रदान किये गये अनुमोदन

1. मे0 पसवारा पेपर्स लि0 के प्रस्ताव को विस्तारीकरण के स्थान पर ग्रीनफील्ड इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2. मे0 श्री सीमेंट लि0 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दि0 9.7.2015 में निम्नवत बदलाव किया जाता है:-

2.1 कम्पनी द्वारा रू0 728 करोड़ की लागत से कम्पोजिट बिल्डिंग मैटीरियल बनाने हेतु सिकन्दराबाद में दो चरणों में इकाई की स्थापना निम्नवत की जायेगी:-

अ. फेज-1 में प्लाट नं0 12, सिकन्दराबाद इण्डस्ट्रियल एरेया, जिला बुलन्दशहर में 20 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली सीमेंट तथा 3 लाख क्यूबिक मी0 प्रतिवर्ष क्षमता वाली ए0ए0सी0 का उत्पादन करने वाली इकाई की स्थापना जिसकी कुल लागत रू0 578 करोड़ होगी।

ब. फेज-2 में सिकन्दराबाद में स्थापित की जा रही सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की क्षमता 20 लाख टन से बढ़ाकर 30 लाख टन प्रतिवर्ष किया जाना जिसकी कुल लागत रू0 150 करोड़ होगी।

2.2 दि0 9.7.2015 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट की अन्य सुसंगत शर्तें यथावत लागू होंगी।

3. मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दि0 30.6.2015 में निम्नवत बदलाव किया जाता है:-

3.1 रू0 1886.82 करोडकी अनुमानित पूँजी निवेश वाली पुनरीक्षित परियोजना है:-

स्थान	परियोजना	उत्पाद एवं प्रस्तावित क्षमता
बी-1, सेक्टर-81, फेज-2, नोयडा पर स्थित वर्तमान इकाई	हैन्ड हेल्ड मोबाईल डिवाइस की क्षमता मे विस्तार	हैन्ड हेल्ड मोबाईल डिवाइस की क्षमता 3.30 करोड इकाई से 4.40 इकाई करोड़ किया जाना
उपरोक्त स्थापित इकाई से संलग्न कय की जाने वाली भूमि पर प्रस्तावित परियोजना।	हैण्डहेल्ड सेलुलर फोन की क्षमता का विस्तारीकरण एवं अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु विविधीकरण	हैण्डहेल्ड सेलुलर फोन्स एवं टेबलेट कम्प्यूटर्स (120 लाख संख्या प्रतिवर्ष), रेफ्रीजरेटर्स (18 लाख प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता)

3.2 इकाई के प्रस्तावित उत्पादों यथा मोबाईल फोन्स, टैबलेट कम्प्यूटर्स एवं रेफ्रीजरेटर्स को एक ही श्रेणी का उत्पाद माना जायेगा।

3.3 उक्त पूँजी निवेश की अवधि 23.1.2013 से लेकर पूर्व में निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दि0 30.6.2015 से 7 वर्ष तक (अर्थात 29.6.2022 तक) होगी।

पी0एस0यूपी0—ए0पी0 3 सा0 उद्योग—23.05.2016 (218)—1,000+75+18=1093 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

ANNEXURE-6

संख्या- 854 /77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0(मेगा)

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
(2) समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ज़िलाधिकारी, उ.प्र.।
(3) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र.।
(4) प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
(5) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2016

विषयः-उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में रू0 200 करोड/रू0 500 करोड़ या अधिक पूँजी निवेश करने वाली मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु केस-टू-केस आधार पर विशेष सुविधायें एवं रियायतें अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014, शासनादेश संख्या-770/77-6-15-5(एम)/13टी.सी. दिनांक 09.06.2014 एवं शासनादेश संख्या-510/77-6-16-5(एम)/13टी.सी.(मेगा) दिनांक 12.05.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12.05.2016 को निर्गत किये जाने के पश्चात् स्टाम्प एवं निबंधन विभाग द्वारा इंगित किया गया है कि स्टाम्प शुल्क में छूट सम्बन्धी सुविधाओं की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नही हो पा रही है। सम्यक विचारोपरान्त जिन इकाइयों द्वारा भूमि के क्रय पर देय स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराये जाने की मॉग की गयी है उन्हें यह सुविधा केस-टू-केस आधार पर अनुमन्य कराया जाना औचित्यपूर्ण होगा जैसा कि पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 09.06.2015 द्वारा प्राविधानित किया जा चुका है। इस आधार पर प्रस्तुत प्रस्तावों को भी केस-टू-केस आधार पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने की निम्नानुसार कार्यवाही की जायः-

अ. शासनादेश सं. 510/77-6-16-5(एम.)/13 टी.सी.(मेगा) दिनांक 12.05.2016 द्वारा 6 मेगा परियोजनाओं के प्रस्तावों में से चूँकि 4 इकाइयों द्वारा भूमि के क्रय पर देय स्टाम्प शुल्क से 100 प्रतिशत की छूट/प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान किये जाने की मॉग की गयी है अतएव निम्न 4 इकाइयों को क्रय की गयी अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर

देय/भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट/प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जायः-

(1) मे. अशर एग्रो लि., मथुरा (स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति)।
(2) मे. सुखबीर एग्रो इनर्जी लि., शाहजहॉपुर(स्टाम्प शुल्क की छूट)।
(3) मे. सुखबीर एग्रो इनर्जी लि., महोबा एवं ललितपुर (स्टाम्प शुल्क की छूट)।
(4) मे. बेन्नेट इन्स्टीटयूट आफ हायर एजूकेशन, ग्रेटर नोएडा (स्टाम्प शुल्क की छूट)।

ब. चूँकि कतिपय मेगा परियोजनाओं में कम्पनी द्वारा भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क की देयता पर 100 प्रतिशत की छूट परियोजना के कियान्वयन के प्रारम्भिक अवसर पर ही उपलब्ध करानी होगी अतएव शासनादेश सं. 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 3 मार्च, 2014 (सपठित संशोधन शासनादेश सं. 770/7-6-15-5(एम)/13टी.सी. दिनांक 9 जून, 2015) के प्रस्तर 12.7 में उल्लिखित सहायता प्राप्त करने हेतु शर्त का यह अंश कि ''मेगा परियोजना के अन्तर्गत अनुमन्य विशिष्ट सुविधायें, इकाई को पात्रता हेतु आवश्यक पूँजी निवेश पूर्ण किये जाने की तिथि से ही उपलब्ध कराई जायेगी'', ऐसी परियोजनाओं पर लागू नही होगा। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि ऐसी इकाइयों को उक्त छूट शासनादेश सं 141/77-6-13-15(एम)/05 दिनांक 4 जून, 2013 में उल्लिखित शर्तो/व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 3 मार्च, 2014 (सपठित संशोधन शासनादेश संख्या 770/7-6-15-5(एम) /13टी.सी. दिनांक 9 जून, 2015) के प्रस्तर 12.7 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

वर्तमान प्राविधान (प्रस्तर 12.7)	प्रस्तावित संशोधित प्राविधान (प्रस्तर 12.7)
यदि परियोजना चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाती है एवं तदनुसार चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग समय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसी दशा में उस परियोजना को मेगा परियोजना के अंतर्गत देय विशिष्ट सुविधाएं तभी अनुमन्य कराई जाएं, जब परियोजना एक ही स्थान पर स्थापित की जा रही हो एवं परियोजना हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. में चरणबद्ध तरीके से परियोजना स्थापित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो एवं इसी डी.पी.आर. के आधार पर अप्रेजल किया गया हो एवं इकाई द्वारा उत्पादित किए जाने वाला उत्पाद एक ही प्रकृति का हो। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इकाई द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट जारी होने के दिनॉक से	यदि परियोजना चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाती है एवं तदनुसार चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग समय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसी दशा में उस परियोजना को मेगा परियोजना के अंतर्गत देय विशिष्ट सुविधाएं तभी अनुमन्य कराई जाएं, जब परियोजना एक ही स्थान पर स्थापित की जा रही हो एवं परियोजना हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. में चरणबद्ध तरीके से परियोजना स्थापित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो एवं इसी डी.पी.आर. के आधार पर अप्रेजल किया गया हो एवं इकाई द्वारा उत्पादित किए जाने वाला उत्पाद एक ही प्रकृति का हो। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इकाई द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट जारी होने के दिनॉक से आगामी 5

आगामी 5 वर्ष की अवधि के अन्दर अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो एवं कट-ऑफ-डेट के पश्चात, परंतु अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व, मेगा इकाई की पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश कर लिया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में मेगा परियोजना के अंतर्गत अनुमन्य विशिष्ट सुविधाएँ इकाई को पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश पूर्ण किए जाने की तिथि से ही इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाएगी कि इकाई द्वारा कम से कम किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।	वर्ष की अवधि के अन्दर अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो एवं कट-ऑफ-डेट के पश्चात, परंतु अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व, मेगा इकाई की पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश कर लिया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में मेगा परियोजना के अंतर्गत अनुमन्य विशिष्ट सुविधाएँ इकाई को पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश पूर्ण किए जाने की तिथि से ही इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाएगी कि इकाई द्वारा कम से कम किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो। **परन्तु जिन मेगा औद्यौगिक इकाईयों (जिनमें विस्तारीकरण /विविधीकरण वाली इकाईयों भी सम्मिलित हैं) को परियोजना हेतु क्रय की गयी अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है, उन्हें अनुमन्य यह विशिष्ट सुविधा की पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश पूर्ण किए जाने की बाध्यता नही होगी किन्तु ऐसी इकाइयों को यह सुविधा शासनादेश सं.** 141/77-6-13-15 (एम)/05 दिनांक 4 जून, 2013 में उल्लिखित शर्तो/व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

स. उपरोक्त शासनादेशों दिनांक 09.06.2015 एवं 12.05.2016 को तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित माना जाय। शेष उपबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्याः 854 (1)/77-6-16-05(एम)/2013 टी0सी0 (मेगा), तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।

3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमो के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. राजस्व परिषद, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
9. प्रमुख सचिव, निबन्धन विभाग, उ.प्र. शासन।
10. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
11. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।
13. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Kanchan
(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्याः854(2)/77-6-16-05(एम)/2013 टी0सी0(मेगा), तददिनांक

प्रतिलिपि- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Kanchan
(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।